संख्या 01168/2021-2022 पत्रावली संख्या G/GOR/0038291 दिनांक 26/08/2021

प्रारूप-8
नियम 7(2) देखिये

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या **GOR/06202/2021-2022**

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **ग्रो ट्री एकेडमी सोसाइटी, सेमरा देवी प्रसाद, न्यू शिवपुरी कालोनी, नियर बगिया माता मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर, पो0-रामगढ़ताल, तह0-सदर, जि0-गोरखपुर, गोरखपुर , 273016** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
यह प्रमाण पत्र दिनांक **25/08/2026** तक विधिमान्य होगा ।
आज दिनांक **26/08/2021** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

Digitally Signed By
(Ajay Kumar Shahi)
0097FB1C47DF3F7B5BB0589C12A76E5CD27FC364
Date: 26/08/2021 12:20:45 PM, Location: Gorakhpur.
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

PSingh
Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AE 815071

जनरल स्टाम्प पेपर ग्रो ट्री एकेडमी सोसाइटी

जिला गोरखपुर फाइल नं० जी/जीओआर/00338291

स्मृति-पत्र ...के साथ संलग्न है।

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज ... उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

Pooran Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
14-02-23

PSingh
Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AE 815072

जनरल स्टाम्प पेपर ग्रो ट्री एकेडमी सोसाइटी

जिला गोरखपुर फाइल नं० GR/07018/0038291 के साथ संलग्न है।

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, सहायक रजिस्ट्रार, कार्यालय, सत्यमेव जयते, उत्तर प्रदेश गोरखपुर

Poonam Sinah
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
14-02-23

psingh
Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : ग्रो ट्री एकेडमी सोसाइटी

संस्था का पता / Society's Address : सेमरा देवी प्रसाद, न्यू शिवपुरी कालोनी, नियर बगिया माता मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर, पो0-रामगढ़ताल, तह0-सदर, जि0-गोरखपुर,Gorakhpur,273016

संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

संपर्क संख्या / Contact Number : 8858289621

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(यें उद्देश्य

खादी ग्राम, उद्योग , पंचायत उद्योग, ग्रामीण विकास, , विज्ञान साहित्य या ललित कला की प्रोन्नति , शिक्षा के लिये , उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिये (राजनीतिक शिक्षा) , जनसामान्यन के लिये स्थायपित पुस्तककालयों/ वाचनालयों से संबंधित , रंग चित्रों या अन्ये कला कृतियों/ संग्राहालयों/ गैलरियों , प्राकृतिक इतिहास के संकलन , यांत्रिक / दार्शनिक , बहुउदेशीय ,

से सम्बंधित है)

1. स्वस्थ भारत मिशन एवं स्किल इंडिया प्रोग्राम का सफल क्रियान्वयन करना। कौशल भारत कुशल भारत और डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार बनाने का प्रयास करना। केन्द्रीय व प्रदेश सरकार की योजनाओं के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण/शहरी/मलिन बस्तियों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं, समाज के पिछड़े वर्ग हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे-कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रो, टाइपिंग, कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिन्टीग टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजलं मैकेनिक, मोटर्स मैकेनिक, रेडियो ट्रेनिंग, कुटीर उद्योग, मोटर वाइडिंग संस्थानों की स्थापना एवं प्रचार-प्रसार करना एवं उनकी शिक्षा के लिए प्राथमिक/माध्यमिक/महाविद्यालयों/यू0पी0 बोर्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, सी.बी.एस.ई. बोर्ड, आई.सी.एस.सी. बोर्ड संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अम्बेडकर, आवासीय, मूक बधिर व आश्रम पद्धति सहित शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। आवासीय विकलांग विद्यालय व मंद बुद्धि बाल विद्यालयों की स्थापना करना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बालक-बालिकाओं को साक्षर बनाना। निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों, वृद्ध एवं विधवा आश्रमों, नारी निकेतन, शिशु गृहों की स्थापना करना एवं उनके छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।

2. महिलाओं तथा पुरुषों तथा कमजोर वर्ग की ज्ञानवृद्धि हेतु कार्यक्रम बनाना। महिला व बाल विकास के क्षेत्र में शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण, अध्ययन/संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करना। ग्राम्य स्वावलम्बन हेतु उपयुक्त तकनीकी वैदिक विधाओं पर शिक्षण-प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रचार-प्रसार करना।

3. आदिवासियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों व विमुक्त जनजातियों का समग्र विकास करना। अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक स्तरों में सुधार के कार्यक्रम प्रचार-प्रसार करना । युवा, महिला वर्ग हेतु कार्यक्रमों का सृजन करना। दलित, शोषित व पीड़ित, असहाय व अशक्त लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा के कार्यक्रम प्रचार-प्रसार करना ।

4. भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जनहितकारी योजनाओं व प्रकल्पों का क्रियान्वयन। खेलों को बढ़ावा, खेलों के प्रति गांवों व शहरों में अभिरुचि पैदा करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना। हाकी, फुटबाल, वालीवाल, कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, कुश्ती एवं विकलांग खिलाड़ियों के लिए सभी प्रकार के खेलों की व्यवस्था करना एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना। संस्था के माध्यम से खेलों के मैदान, स्टेडियम आदि का निर्माण व खेल भावना जागृत कर विभिन्न खेलों के प्रति जन सामान्य की अभिरुचि उत्पन्न करना तथा खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पुरस्कार वितरण की व्यवस्था करना और इस हेतु कार्यक्रम को आयोजित करना।

5. संस्था द्वारा रंगमंच, ललित कलाओं व साहित्यिक गतिविधियों का प्रचार-प्रसार व आवश्यकतानुसार उनका प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना। संस्था द्वारा ग्रामीण व गरीब महिलाओं को आय अर्जन हेतु सक्षम बनाना तथा संबंधित प्रशिक्षण के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्प कला, हस्त शिल्प कला, काष्ठ कला, ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजायनिंग, फैशन शो, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रानिक्स, पेन्टिंग का प्रशिक्षण देना। समाज में तकनीकी शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।

6. सभी को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क करना एवं संक्रामक रोगों से बचने के लिए प्रचार-प्रसार करना। जनता में स्वास्थ्य चेतना विकसित करते हुए स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रमों के आयोजन व विस्तार की व्यवस्था करना। परिवार कल्याण व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को सुस्थापित करना। निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सालयों की स्थापना करना। कुष्ठ, क्षय, हेपटाईटिस बी, मधुमेह व एड्स रोग के आधुनिकतम उपायों के प्रचार-प्रसार एवं तत्संबंधी निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन व निःशुल्क सचल चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना। परिवार नियोजन एवं मातृ-शिशु कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन तथा निःशुल्क टीकाकरण, आंख के आपरेशन शिविर, अपंगता, अंधता, पोलियो, हेल्थ क्लब, व व्यायामशालाआंे की स्थापना, चेचक निवारण के केन्द्रों की स्थापना तथा उनका प्रचार-प्रसार करना।

7. विश्व बैंक, मौलाना अबुल कलाम फाउंडेशन नई दिल्ली, हेल्पेज इण्डिया केयर विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा संचालित बाल एवं महिला विकास

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। सामाजिक कुरीतियों व महिला उत्पीड़न के निवारण हेतु कदम उठाना। समाज द्वारा बहिष्कृत महिलाओं तथा पुरूषों तथा कमजोर वर्ग व जनजाति वर्ग के लोगों के समग्र विकास व स्वावलम्बन हेतु प्रचार-प्रसार करना । महिलाओं के प्रति अपराधों तथा अत्याचारों को रोकने की व्यवस्था करना।

8. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, महिला कार्यक्रम एवं बाल विकास के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्यक्रमों के आयोजन एवं विस्तार की व्यवस्था करना तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों को सफल बनाना।

9. समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, कापार्ट, नौराड, यूनिसेफ व अन्य स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रसारित करना।

10. शिक्षा द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। सामूहिक विवाहों का आयोजन। बालिकाओं, महिलाओं से संबंधित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम के लिए युवतियों को आवश्यक जानकारी देना।

11. समाज के सभी वर्गों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। जल के गिरते स्तर को रोकने एवं प्राकृतिक वर्षा द्वारा प्राप्त जल का भंडारण कार्य करना। वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों को विकसित एवं स्थापित करने का कार्य करना। जल संरक्षण, जल संचयन, जलचक्र, जल संसाधन तथा स्वजल धारा से संबंधित समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

12. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडवी, सैफ इण्डिया, नौराड, सूडा, अवार्ड, मद्य निषेध विभाग, अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत शामिल योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना। खादी ग्रामोद्योग आयोग के समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

13. कृषि की उन्नति के लिए तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षणों का आयोजन व उपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन देना। कृषि कार्य विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड, कृषि बागवानी बोर्ड इत्यादि के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु नई वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करना। जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, जैव तकनीक, देशी बीज व प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण व विकास करना। किसानों को आधुनिक कृषि संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक ढंग से कृषि उत्पादन की जानकारी तथा बीज, खाद, उर्वरक एवं कृषि यंत्रों की जानकारी।

14. सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं सेमिनार का आयोजन। समाज के मूक-बधिर, विकलांग, नेत्रहीन, महिलाओं, विधवाओं, बच्चों व वृद्धों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना व बाल श्रमिकों को उनका कानूनी अधिकार दिलाना।

15. जन साधारण के हितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, छात्रावास, पौधशाला, गोशाला, विश्रामालय, विधवा आश्रम, अनाथाश्रम, वृद्धा आश्रम की स्थापना करना। देश-प्रदेश की लोककला, संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकीकरण हेतु कार्यक्रम करना।

16. मलिन बस्तियों के सुधार के कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तगत विभिन्न प्रकार के आधुनिक शौचालयों का निर्माण, प्याऊ, पौधशाला, शुद्ध पेयजल एवं बिजली की समुचित निःशुल्क व्यवस्था प्रदान करना व जनहित में कार्य करना।

17. आयुर्वेद व परंपरागत औषधि ज्ञान को बढ़ावा देने के कार्यक्रम। आयुर्वेदिक औषधियों के संरक्षण व विकास हेतु कार्यक्रमों का संचालन। दैवी व प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा, हैजा, प्लेग विभिन्न प्रकार की बीमारी, महामारी व संक्रमण काल में शासन, प्रशासन व जनता का सहयोग करना।

18. देश-विदेश से आए विद्यार्थियों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु निशुल्क धर्मशालाओं का निर्माण करना। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, पर्यावरणीय व अन्य समस्त समस्याओं के प्रति जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दृश्य-श्रव्य उपकरणों के माध्यम से कार्यक्रम। संबंधित क्षेत्रों में चेतना जागरण।

19. राष्ट्रीय एकता व अखंडता को कायम रखने के लिए लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शिविरों, सेमिनारों, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी का आयोजन कराना।

20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैनेजमेन्ट, चिकित्सा व संगीत के क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना। समाज के अधिक उम्र के व्यक्तियों व निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा की जानकारी उपलब्ध कराना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यक्रमों को संस्था के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।

21. विकलांगों को स्वावलम्बी बनाने में सहायता करना तथा उनके लिए निःशुल्क कृत्रिम अंगों, ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र उपलब्ध कराते हुए उनकी जीविका की व्यवस्था करना। मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। निःशुल्क रक्तदान शिविर नशाबन्दी हेतु गोष्ठी व जागरूकता कार्यक्रम। मद्य निषेध तथा मादक पदार्थों के सेवन करने वालों हेतु निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करना। कृषि, जैविकीय तकनीकियों को ग्रामीण स्तर पर सुलभ कराना। हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार प्रसार करना। दहेज प्रथा, अंधविश्वास के सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाना। शासन की अनुमति से गो- आधारित ग्रामीण भू नगरीय सतत विकास प्रबन्धन गोशाला एवं गोउत्पादों के प्रतिस्थापन हेतु प्रचार-प्रसार करना।

22. संयुक्त राष्ट्र संगठन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करते हुए संबंधित चेतना जागरण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

23. सड़क सुरक्षा नियमों एवं यातायात के नियमों का पालन कराने हेतु जनता को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना। स्वयं सहायता समूहों के निर्माण द्वारा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना।

24. पशुओं द्वारा जैसे-कुत्ता, बिल्ली, सियार, काटने पर प्रतिरोधक दवा का उपयोग करना, संबंधित विभाग की अनुमति से करना। पर्यावरण मित्र पशु पक्षियों के सम्यक संरक्षण का उपाय सामाजिक प्रशासनिक स्तर से ताल मेल बिठाकर करना।

25. जीव-जंतुओं की रक्षा के लिए जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों का संचालन, जीव-जंतुओं के प्रति दयाभावना उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम कराना। जीव जन्तुओं के कल्याण हेतु कार्य करना।

26. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामाजिक कार्यों का संचालन व प्रचार प्रसार करना।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है / Details of officie bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर

Sumansingh.. psingh उर्मिलावती सिंह पूनमसिंह Saumya अभिषेक MSS

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

psingh
Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

1.	सुमन सिंह	जय सिंह	एलआईसी आफिस, शुगर मिल रोड, क्लड, सेहरी संतकबीरनगर	अध्यक्ष	समाजसेव	8858289621		Sumansingh
2.	मधुमति सिंह	जय सिंह	बनियाबारी, संतकबीरनगर	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	8858289621		MSR
3.	पंकज विश्वजीत सिंह	विश्वजीत सिंह	सेमरा देवी प्रसाद, न्यू शिवपुरी कालोनी, नियर बगिया माता मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर, बर्गो, जि0-गोरखपुर	प्रबंधक	समाजसेवा	8858289621		psingh
4.	उत्तरावती सिंह	विश्वजीत सिंह	सेमरा देवी प्रसाद, न्यू शिवपुरी कालोनी, नियर बगिया माता मंदिर, नार्मल, बर्गो, जि0-गोरखपुर	उपप्रबंधक	समाजसेवा	8858289621		उत्तरावती सिंह
5.	पूनम सिंह	नवाब सिंह	ग्रा0/पो0-महुआपार, हरैया, ् जि0-बस्ती	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा	8858289621		पूनमसिंह
6.	सौम्या सिंह	जय सिंह	बनियाबारी, संतकबीरनगर	सदस्य	समाजसेवा	8858289621		Saumya
7.	अभिषेक सिंह	दिनेश सिंह	घोरांग, डिहवा, संतकबीरनगर	सदस्य	समाजसेवा	8858289621		अभिषेक सिंह

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	सुमन सिंह	जय सिंह	एलआईसी आफिस, शुगर मिल रोड, क्लड, सेहरी संतकबीरनगर	समाजसेव
2.	मधुमति सिंह	जय सिंह	बनियाबारी, संतकबीरनगर	समाजसेवा
3.	पंकज विश्वजीत सिंह	विश्वजीत सिंह	सेमरा देवी प्रसाद, न्यू शिवपुरी कालोनी, नियर बगिया माता मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर, बर्गो, जि0-गोरखपुर	समाजसेवा
4.	उत्तरावती सिंह	विश्वजीत सिंह	सेमरा देवी प्रसाद, न्यू शिवपुरी कालोनी, नियर बगिया माता मंदिर, नार्मल, बर्गो, जि0-गोरखपुर	समाजसेवा
5.	पूनम सिंह	नवाब सिंह	ग्रा0/पो0-महुआपार, हरैया, जि0-बस्ती	समाजसेवा
6.	सौम्या सिंह	जय सिंह	बनियाबारी, संतकबीरनगर	समाजसेवा
7.	अभिषेक सिंह	दिनेश सिंह	घोरांग, डिहवा, संतकबीरनगर	समाजसेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है । दिनॉक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

Sumansingh MSR psingh उत्तरावती सिंह पूनमसिंह Saumya अभिषेक

सत्य - प्रतिलिपि

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

psingh
प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता ...-2023
Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AE 997985

जनरल स्टाम्प पेपर ग्रो ट्री एकेडमी सोसाइटी

जिला गोरखपुर फाइल नं० GOR/01/2024/0038291

सही अभिलेख की के साथ संलग्न है।

(Seal: उत्तर प्रदेश गोरखपुर — सत्यमेव जयते)

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
---03-24

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

psingh
Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

संशोधित / Amended

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : ग्रो ट्री एकेडमी सोसाइटी

संस्था का पता / Society's Address : सेमरा देवी प्रसाद, न्यू शिवपुरी कालोनी, नियर बगिया माता मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर, पो0-रामगढताल, तह0-सदर, जि0-गोरखपुर,Gorakhpur,273016

संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

संपर्क संख्या / Contact Number : 8858289621

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / **Membership Type**	शुल्क / **Fee**	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / **Procedure of making Members**
आजीवन सदस्य / Life Time Member	50000	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
सामान्य सदस्य / General Member	5000	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतिक अपराधो में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation : साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।

बैठके / Meetings : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैटक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है । असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।

सूचना अवधि / Notice period : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 1 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी ।

पूनम सिंह Saumya अभिषेक सिंह

psingh

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाईटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

गणपूर्ति / Quorum : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date : साधारण सभा की विशेष बैठक वर्ष के अंत में नवम्बर महीने में होगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body : 1. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित योजना तथा बजट का अनुमोदन करना। 2. संस्था के लेखा का अनुमोदन करना। 3. अन्य विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार। 4. प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना।

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपप्रबंधक-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, प्रबंधक-1, सदस्य-2 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होगी।

सूचना अवधि / Notice period : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी ।

बैठकें / Meetings : प्रबन्धसकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।

गणपूर्ति / Quorum : प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body : 1. स्मृति-पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों व सम्बद्ध योजनाओं व प्रकल्पों का अनुपालन तथा कार्यान्वयन करना। संस्था की समिति, उपसमिति या आवश्यकतानुसार अन्य प्रकोष्ठों का गठन करना। 2. आय-व्यय का लेखा तैयार करना/कराना तथा उनके लेखा-परीक्षण के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन तथा सेवा-शर्तों का निर्धारण करना। 3. आवश्यकतानुसार संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन तथा सेवा शर्तों का निर्धारण करना। 4. नियमानुसार अन्य कार्य करना। 5. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रतिबंधयुक्त या प्रतिबंधरहित सरकारी अर्धसरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, अनुदान आयोगों तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग, बोर्ड, बैंक आदि से ऋण/दान/अनुदान/चंदा तथा चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त करना तथा उनका सार्थक उपयोग करना। समस्त कार्यों हेतु विदेशी अभिदाय फारेन एड प्राप्त करना। 6. प्रबंधक के निर्देशानुसार संस्था का कोई भी सदस्य संस्था की बैठकों को कार्यवाही रजिस्टर पर लिपिबद्ध कर सकेगा

रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats : प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी ।

कार्यकाल / Tenure : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5साल का होगा ।

प्रबंधकारिणी समिति के निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by General Body : सामान्य साधारण सभा बहुमत के आधार पर

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / **Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :**

अध्यक्ष 1. संस्था के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। किसी विषय पर समानमत आने पर इसे निर्णायक मताधिकार होगा। यह

पूनम सिंह Saumya अभिषेक सिंह

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

psingh
Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

किसी पदाधिकारी या सदस्य के लिए पारिश्रमिक या मानदेय की व्यवस्था कर सकेगा। बिल वाउचरों पर हस्ताक्षर करना। प्रबंध समिति द्वारा प्रदत अधिकारों के प्रयोग की शक्ति। संस्था के उत्थान के लिए कार्य करना। यह प्रबंध समिति के सदस्यों को संस्था के विकास सम्बन्धित किसी कार्य हेतु आदेशित या निर्देशित कर सकेगा।

उपाध्यक्ष	2.	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसका सहयोग करना। अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करना तथा उसका सहयोग करना।
प्रबंधक	3.	यह बैठकों की कार्यवाही, सूचना आडिट व सम्पूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी होगा। संस्था का विकास कार्य करना। संस्था का विकास कार्य करना। प्रबंध समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना। प्रबंध समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना। पदाधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्ति इसमें निहित होगी। कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति करना। प्रबंधक की सहमति संस्तुति के बिना संस्था का कोई सदस्य नहीं बन सकेगा। संस्था के समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करना एवं आय-व्यय का लेखा रखना।
उपप्रबंधक	4.	प्रबंधकारिणी समिति का सहयोग करना। प्रबंधक की अनुपस्थिति में उसके द्वारा लिखित कार्यों को करना।
कोषाध्यक्ष	5.	प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सीमा में नकद धन अपने पास रखना तथा प्रबंधकारिणी समिति को सहयोग करना।
सदस्य	6.	स्मृति-पत्र के उल्लिखित उद्देश्यों के अनुपालन हेतु कार्य करना। मतदान करने का अधिकार।

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

पदाधिकारी/Post

1. कोषाध्यक्ष 2- प्रबंधक

अन्य प्राविधान-

क- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ख- विद्यालय में कम से कम प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति 10,/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रोंके लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नही लिया जायेगा।

ग- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि ..इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद सेसम्बद्ध प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता,/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

घ- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेततर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के बात को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भततों से कम वेतनमान तथा अन्य भते नहीं दिये जायेगें।

ङ- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

च- राज्य सरकार द्वारा समयसमय पर जो- भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

छ- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र//पंजिकाओं में रखा जायेगा, यदि हो तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यलाय के विभाग /शासन के सभी प्रतिबन्ध कम क से ज तक स्वीकार हैं।

ज- उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन,» परिवर्धन संशोधन नहीं किया /जायेगा।

आय के स्रोत / Source of Income

1. Foreign Grants 2- Government Donation 3- Government Loan

4. Maintenance amount 5- Membership Fee 6- Other Sources

7- Remittance 8- Self Money Generation

प्रेमसिंह Saumya अभिषेक सिंह

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

PSingh
Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

115

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / **Society's Rules and Regulations Revision Process :**

साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष/ **Society's Account Details:**

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूलड़ बैंक, पोस्ट ऑफिस,या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा , जिसका संचालन कोषाध्यक्ष एवम प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा |

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व| / **Responsibility for court operations of the society by or against :**

प्रबंधक या तन्नियुक्त व्यक्ति का होगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(औडिट) / **Budget Audit :**

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेग / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / **Society's records :**

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
   a) साधारण सभा / Genearal Body.
   b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टाक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

विघटन / **Dissolution :**

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धरा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनाँक / Date :- 10/02/2024

हस्ताक्षर / Signature :

पूनम सिंह   Saumya   PSingh

अभिषेक सिंह

psingh

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

प्रतिलिपि कर्ता......
मिलान कर्ता...02-08-24

सहायक निबन्धक फर्म्स ... उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

पत्रावली संख्या G/GOR/003829/

आलेख्य का क्रम ....

स्मृति पत्र ....

ग्रो ट्री एजुकेशन सोसाइटी, गोरखपुर

आज दिनांक 02/03/24

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी।

सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

02/03/24

Poonam Singh
Principal
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)

psingh
Manager
GROW TREE ACADEMY
Bangawa, Sahjanwa, Gorakhpur (U.P.)